FP/JH/TRANS/120412/2021

1/48230/2023



भारत सरकार / Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest & Climate Change

क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office पताः द्वितीय ततः, झारखण्ड राज्य आवास वोर्ड मुख्यातय, हरम् चौकः, रॉची, झारखण्ड - 834002 Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002 Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

संख्या: FP/JH/TRANS/120412/2021 /12.5) 11.07.2023

सेवा में.

अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण, एवं जलवाय् परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार. नेपाल हाउस, राँची - 834002.

दिनांक:

表现有 医心

विषय :-DVC हजारीबाग (सिंदूर) सब-स्टेशन से पूर्व मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के T.S.S. तक 132 K.V. D/C ट्रांसिमशन लाईन निर्माण हेतु कुल 10.106 हे० वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-वन भूमि-17/2023-2243/व.प. दिनांक 15.06.2023 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

i. Column I (i) of Part-I of the online application says the project or its part is not located in any Wildlife Sanctuary or its ESZ, whereas Part-II, Column 8 (iii) states the

opposite. The ambiguity may be explained. ii. District Profile as mentioned in Column 14 of Part-II appears erroneous as both- the total geographical area as well as total forest area of the district are given exactly equal.

iii. Clear and high-resolution toposheet map of the proposed CA area as the one uploaded is least legible.

iv. Undertakings for the payment of compensatory levies such as CA, NPV, Addl. NPV, Wildlife Management plan etc. by the User Agency.

V. Detail of the trees proposed for felling and proposed for translocation out of total no. of trees (260) enumerated in the forest land proposed for diversion.

vi. Undertaking of abidance by user agency in respect of CWLW recommendations for the proposal.

vii. The proposed CA DFL appears to have already considerably good vegetation. Therefore, the land suitability certificate issued by the DFO should dwell upon the possibility of planting required amount of saplings in the identified CA area. The same should clearly depict that the identified CA area is free from all the encumbrances.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाय।

> विश्वासभाजन Signed by Shashi Shankar Pathak Date: 11-09-2029 97: 44:58 सहराख्डा का सक्तानिस्थान

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/ED-(Nodal) FC, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

ज्ञापांक न्यू 3

दिनांक 19,7,2023

प्रतिलिपि :— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/बरीय प्रमंडलीय अभियंता (TSC)-IV दा०घा०नि० हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन शीघ इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

KQn. 19.7.23